प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरमः माननीय श्री राजीव गुप्ता , मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 1740/2000

चुरामन सिंह

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ ।

सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु दिनाँक 31/07/2012 को सूचीबद्ध करें ।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता , मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 1740/2000

अपीलार्थी चुरामन सिंह

पिता गणेशुराम सतनामी

आयु 16 वर्ष एवं 3 माह

ग्राम -सिर्री

थाना- उतई

जिला दुर्ग मध्यप्रदेश अब छ.ग.

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़)

द्वारा थाना- उतई

जिला दुर्ग

(**दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 374 के अधीन दाण्डिक अपील**)

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से: श्री रजनीश श्रीवास्तव,अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(निर्णय)

(31.07.2012)

इस न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश** द्वारा प्रदत्त।

(1) यह अपील प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 15/2000 में दिनांक 10 मई, 2000 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

(2) प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं-

मृतक- खेमलाल, अपीलार्थी का ममेरा भाई था। दिनांक 17.10.1999 को सुबह लगभग 7:00 बजे, मृतक का शव बंशीलाल की बाड़ी में पाया गया था। उसकी गर्दन और अंडकोष पर कटने के घाव (चोट के निशान) थे। शव को घर लाया गया और मर्ग सूचना दर्ज की गई। शव को पोस्टमार्टम (शव-परीक्षण) के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम परीक्षण डॉ. ए.के. मिश्रा (अभियोजन साक्षी-5) द्वारा किया गया था, जिन्होंने निम्नलिखित चोटें दर्ज कीं:

i. गर्दन पर 7 x 1.25 इंच का कटा हुआ घाव; श्वास नली, ग्रास नली और गर्दन की नसें कटी हुई थीं; श्वास नली के भीतर रक्त के थक्के मौजूद थे।

ii. अंडकोष पर 1 x 1.25 x ½ इंच का कटा हुआ घाव।

iii. अंडकोष के निचले हिस्से पर 1 x 1 x ½ इंच का कटा हुआ घाव।

शव-परीक्षण करने वाले शल्य-चिकित्सक ने यह अभिमत दिया कि चोटें मृत्यु-पूर्व थीं और किसी तेज धारदार वस्तु से कारित की गई थीं; मृत्यु का कारण आघात और रक्तस्राव था तथा मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी/8

(प्र.पी./8) है। अभियोजन के अनुसार, दिनांक 31.10.1999 को, अपीलार्थी ने चंद्रशेखर सेन (अभियोजन साक्षी-2), ठाकुरराम (अभियोजन साक्षी-3), पीलूराम (अभियोजन साक्षी-6) और नत्थेलाल (अभियोजन साक्षी-7) के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी। तत्पश्चात, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपीलार्थी का मेमोरेंडम कथन (प्र.पी./4) दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही पर जब्ती पत्रक (प्र.पी./5) के माध्यम से एक शेविंग ब्लेड जब्त किया गया। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला , रायपुर भेजा गया, जहाँ से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी के कब्जे से जब्त किए गए कपड़ों और शेविंग ब्लेड पर रक्त के धब्बे नहीं पाए गए। स्वीकार्य रूप से, इस घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था और अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। निम्नलिखित वे परिस्थितियाँ हैं, जिनका अभियोजन ने अवलंब लिया है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

i. अपीलार्थी ने उपरोक्त 4 साक्षियों के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी।

ii. अपीलार्थी की निशानदेही पर रक्त रंजित वस्तु (कपड़े और शेविंग ब्लेड) जब्त किए गए थे।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी की निशानदेही पर किए गए मेमोरेंडम और जब्ती की परिस्थिति का अवलंब लिया था। यद्यपि, केवल न्यायिकेतर संस्वीकृति की एकमात्र परिस्थिति का अवलंब लेते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या कारित की थी।

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश श्रीवास्तव ने तर्क किया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति का साक्ष्य अविश्वसनीय/संदिग्ध है; न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्षियों के कथनों में तात्विक विरोधाभास विद्यमान हैं।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना है और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(6) एस.के. यूसुफ विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2283 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति दुर्बल प्रकार का साक्ष्य है। इसे सत्य और स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में स्वेच्छा से किया गया स्थापित किया जाना चाहिए। साक्षी के शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध हो और स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हो कि अभियुक्त ही अपराध का कर्ता है। न्यायिकेतर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और यह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, यदि वह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती हो। इस संदर्भ में राजस्थान राज्य विरुद्ध राजा राम, (2003) 8 एस.सी.सी. 180 और कुलविंदर सिंह व एक अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2011) 5 एस.सी.सी. 258 का संदर्भ दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) अब, हम न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य का परीक्षण करेंगें।

(8) चंद्रशेखर सेन (अभियोजन साक्षी-2) गाँव के कोटवार के रूप में कार्यरत रहा था। शवपरीक्षण के दिन, एक स्त्री ने उसे बताया कि अपीलार्थी वन नर्सरी में चाकू लेकर घूम रहा है। जब वह नर्सरी गया, तो उसने वहाँ अपीलार्थी को पाया, जो हाथ में चाकू लिए एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अपीलार्थी को नर्सरी में पकड़ा गया और गाँव लाया गया। गाँव में, अपीलार्थी ने सरपंच- नत्थेलाल (अभियोजन साक्षी-7), पीलूराम (अभियोजन साक्षी-6) और ठाकुरराम (अभियोजन साक्षी-3) के

समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की। अपीलार्थी ने यह संस्वीकृति नहीं की कि उसने मृतक पर चाकू से हमला किया था, बल्कि उसने संस्वीकृति की कि उसने मृतक पर शेविंग ब्लेड से हमला किया था।

(9) ठाकुरराम (अभियोजन साक्षी-3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी घटना के दिन से ही फरार था। वह शवपरीक्षण के बाद गाँव आया था। घटना के तीसरे दिन, अपीलार्थी किसी गोकुलराम के होटल में बैठा था। उप-सरपंच आनंदराम, ठाकुरराम, भिखू पटेल, चंद्रशेखर (अभियोजन साक्षी-2) और कई अन्य ग्रामीण भी वहाँ उपस्थित थे और अपीलार्थी ने उनके समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी।

(10) पीलूराम (अभियोजन साक्षी-6) ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत में न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(11) नत्थेलाल (अभियोजन साक्षी-7) ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने कई ग्रामीणों के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी कि उसने शेविंग ब्लेड का उपयोग करके मृतक की हत्या कारित की थी। यद्यपि, प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि किसी शेखर ने उसे अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति के बारे में बताया था और उसके समक्ष कोई संस्वीकृति नहीं की गई थी।

(12) उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना करने पर, हम पाते हैं कि नत्थेलाल (अभियोजन साक्षी-7) का साक्ष्य अनुश्रुत है। चंद्रशेखर सेन (अभियोजन साक्षी-2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अपीलार्थी को वन नर्सरी में पकड़ा और उसे गाँव लाया और तब न्यायिकेतर संस्वीकृति की गई। लेकिन, ठाकुरराम (अभियोजन साक्षी-3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के तीसरे दिन, अपीलार्थी गोकुलराम के होटल में बैठा था और वहाँ उसने ग्रामीणों के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी। चंद्रशेखर सेन (अभियोजन साक्षी-2) और ठाकुरराम (अभियोजन साक्षी-3) के उपरोक्त दो कथनों

का खंडन करते हुए, पीलूराम (अभियोजन साक्षी-6) ने अभिसाक्ष्य दिया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति ग्राम पंचायत में की गई थी। न्यायिकेतर संस्वीकृति के उपरोक्त तीनों साक्षियों ने संस्वीकृति के स्थान और उस तरीके के संबंध में अलग-अलग संस्करण दिए हैं, जिस तरीके से अपीलार्थी द्वारा संस्वीकृति की गई थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्षियों के साक्ष्य में उपरोक्त महत्वपूर्ण विरोधाभासों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जिस तरीके से इन साक्षियों ने न्यायिकेतर संस्वीकृति के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है, वह उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है। यह ऐसा प्रकरण नहीं है, जिसमें अलग-अलग समय पर अलग-अलग साक्षियों के सामने संस्वीकृति की गई हो। यह एक ऐसा प्रकरण है, जिसमें संस्वीकृति एक ही समय पर उपरोक्त सभी 4 साक्षियों के समक्ष की गई थी, जिन्होंने तात्विक पहलुओं पर विरोधाभास व्यक्त किया है। हमारा यह अभिमत है कि प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त साक्षियों के समक्ष अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति की एकमात्र परिस्थिति का अवलंब लेने में त्रुटि की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(13) इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि डॉ. ए.के. मिश्रा (अभियोजन साक्षी-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि गर्दन पर पाई गई चोट शेविंग ब्लेड से कारित नहीं की जा सकती थी।

(14) अतः, न्यायिकेतर संस्वीकृति के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता और अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का पात्र है।

(15) हम यह भी संज्ञान में लेते हैं कि घटना के दिन अपीलार्थी की आयु लगभग 16 वर्ष और 3 माह थी। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (2000 का 56) की धाराओं 2 (ट), 2(ठ), 7-क और 20 के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम का लाभ अपीलार्थी को भी उपलब्ध होगा क्योंकि अपराध कारित करने की तिथि पर वह 18 वर्ष से कम आयु का था। (**देखें:**

<u>धर्मबीर विरुद्ध राज्य (एनसीटी दिल्ली) व एक अन्य, 2010 एआईआर एससीडब्लू 2894</u> **<u>और विक्रम सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2009) 13 एससीसी 645</u>**)। चूंकि हमने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अपीलार्थी प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्ति का हकदार है, इसलिए हमें अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के लागू होने और उनके लाभ पर निर्णय उद्घोषित करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

(16) फलस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी दिनांक 1.11.1999 से जेल में निरुद्ध है, क्योंकि वह अपने दण्ड के निलंबन के बाद दी गई जमानत की सुविधा का लाभ नहीं उठा सका। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे अविलंब रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(मुख्य न्यायाधिपति)

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Vikeshveri